

21/03/2024

आकाशवाणी ईटानगर

आम चुनाव को ध्यान में रखते हुए निर्वाचन आयोग भ्रामक सूचना की चुनौतियों से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। भ्रामक सूचना से लोकतंत्र की प्रक्रिया को क्षति हो सकती है। आयोग ने कड़े दिशा-निर्देश जारी करते हुए सभी हितधारकों से जिम्मेदारीपूर्ण व्यवहार करने और सतर्क रहने का आग्रह किया है। इस स्थिति की गम्भीरता का उल्लेख करते हुए आयोग ने किसी भी प्रकार की भ्रामक सूचना का प्रसार करने से पहले राजनीतिक पार्टियों को उनकी जांच करने को कहा है। इस तरह भ्रामक सूचना के प्रसार को रोका जा सकता है।

00000000000000000000

निर्वाचन आयोग ने इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय को व्हाट्सएप पर विकसित भारत संदेश पर तत्काल प्रभाव से रोकने का निर्देश दिया है। आयोग ने बताया कि आम चुनाव की घोषणा के बावजूद नागरिकों के फोन पर ऐसे संदेश मिलने की कई शिकायतें मिली हैं।

इसके जवाब में, मंत्रालय ने आयोग को सूचित किया था कि हालांकि पत्र आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले भेजे गए थे, लेकिन प्रणालीगत और नेटवर्क की समस्या के कारण संभवतः यह पत्र प्राप्तकर्ताओं को देर से मिले होंगे।

00000000000000000000

सुप्रीम कोर्ट ने मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति पर नए कानून पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने कहा कि वह इस स्तर पर कानून पर रोक नहीं लगा सकती, जब लोकसभा चुनाव करीब आ रहे हैं। शीर्ष अदालत नए कानून - मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, दो हजार तेईस पर रोक लगाने की मांग वाली याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि नव नियुक्त चुनाव आयुक्त - ज्ञानेश कुमार और सुखबीर सिंह संधू के खिलाफ कोई आरोप नहीं हैं।

00000000000000000000

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई.चन्द्रचूड ने आज दिल्ली में सर्वोच्च न्यायालय परिसर में **सुगम्यता हेल्प डेस्क** का शुभारंभ किया। संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह पहल न्यायमूर्ति रविन्द्र भट्ट की अध्यक्षता वाली समिति की रिपोर्ट के साथ शुरू हुए मिशन के तहत है। न्यायमूर्ति चन्द्रचूड ने कहा कि समिति ने सर्वोच्च न्यायालय को विशेष आवश्यकता वाले लोगों के लिए सुगम्य बनाने के उद्देश्य से अनेक सुझाव दिये हैं। इनमें सिर्फ दिव्यांगजन नहीं, बल्कि वरिष्ठ नागरिक, गर्भवती महिलाएं और अन्य सभी ऐसे लोग शामिल हैं जिन्हें विशेष सहायता की जरूरत है।

00000000000000000000000000

इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी (आई एम सी) ने प्रदेश के विधानसभा चुनाव के लिए चौतीस उम्मीदवारों के नाम जारी कर दिया है। राज्य में कूल साठ विधानसभा सीट है। कांग्रेस के केंद्रीय चुनाव समिति ने आज उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की है।

राज्य में एक ही चरण में आगामी उन्नीस अप्रैल को दो लोक सभा सीटों और साठ विधानसभा सीटों के लिए एक साथ मतदान होगा। कांग्रेस उम्मीदवारों में से कुछ प्रमुख नाम, ताकाम पारियों पालीन निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे। कुमार वाई, बामांग क्षेत्र से, तांगा ब्यालींग नाचों विधानसभा क्षेत्र से, सांगे फुंनसोक मूकतो निर्वाचन क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार और मुख्य मंत्री पेमा खांडू के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। गौरतलब है कि भाजपा ने साठ विधानसभा सीटों के लिए उम्मीदवारों के नाम पहले ही घोषित कर दी है।

वहीं नेशनल पीपुल्स पार्टी ने चौतीस उमीदवार मैदान में उतारे हैं और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से सत्रह सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। आम आदमी पार्टी ने कहा है कि पार्टी राज्य में विधानसभा और संसदीय चुनाव नहीं लड़ेंगे।

00000000000000000000

मौसम विभाग ने अगले पच्चीस मार्च तक अरुणाचल प्रदेश में बारीश की गतिविधिया बढ़ने की संभावना जताई है। मौसम विभाग के एक रिपोर्ट में कहा गया है कि इस अवधि के दौरान बंगाल की खाड़ी से पूर्वोत्तर भारत तक मजबूत निम्न स्तर की दक्षिण और पश्चिमी हवाओं के कारण नमी का प्रवेश होने की संभावना है। मौसम विभाग ने कहा है कि कुछ जगहों पर भारी बारिश के साथ बादल गरजने और बिजली चमकने की संभावना राज्य में अगले पच्चीस मार्च तक बनी रहेगी।

00000000000000000000

रेलवे होली के दौरान यात्रियों की सुविधा के लिए पांच सौ चालीस विशेष रेलगाड़ियों का परिचालन कर रहा है। रेल मंत्रालय ने बताया कि ये रेलगाड़ियां देश के प्रमुख स्थानों तक चलेंगी। दिल्ली से पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और सहरसा के अलावा गोरखपुर-मुम्बई, कोलकाता-पुरी, गुवाहाटी-रांची और नई दिल्ली - श्री माता वैष्णोदेवी कटरा पर विशेष ट्रेन चलाई जा रही है। मंत्रालय ने बताया कि इस बार होली के दौरान पिछले वर्ष के मुकाबले दो सौ उन्नीस रेलगाड़ियां अधिक चलाई जाएंगी। यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अतिरिक्त रेलवे सुरक्षा बल की तैनाती की गई है। रेलगाड़ियों के सुचारू परिचालन के लिए प्रमुख स्टेशनों पर अधिकारियों की आपात ड्यूटी लगाई गई है।

000000000000000000000000

पापुम पारे - जिला चुनाव अधिकारी जिकेन बोमजेन ने विगत मंगलवार को एक बैठक के दौरान राजनीतिक प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता (एम सी सी) के डूस और डोन्ट्स पर प्रकाश डालते हुए बताया कि एम सी सी एक तयशूदा नियम है जो सभी उम्मीदवारों को स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए एक समान स्तर प्रदान करता है। उन्होंने सभी राजनीतिक प्रतिनिधियों से आदर्श आचार संहिता का पालन करने को कहा ताकि कानून एवं व्यवस्था का कोई मुद्दा ना हो। इस मौके पर श्री बोमजेन ने राजनीतिक प्रतिनिधियों से मिडिया सर्टिफिकेशन और निरीक्षण समिति पर बात करते हुए राजनीतिक विज्ञापनों को टी वी, केबल नेटवर्क या केबल चैनल्स इत्यादि में प्रसारण करने से पहले प्री-सर्टिफिकेशन प्राप्त करने की हिदायत दी।

00000000000000000000